भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3324
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

पालना योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच

3324. **श्रीमती डिम्पल यादवः**
श्री पुष्पेंद्र सरोजः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से पालना योजना के अंतर्गत क्रेच/आंगनवाड़ी-सह-क्रेच(एडब्ल्यूसीसी) की स्थापना एवं संचालन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्वीकृत और वर्तमान में कार्यशील क्रेच/एडब्ल्यूसीसी की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान इनके लाभार्थियों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने क्रेच की आवश्यकताओं का आकलन कर प्रस्तावों एवं अधिष्ठानों की संख्या बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकारों से आग्रह करने हेतु कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए व्यापक मिशन शक्ति के सामर्थ्य वर्टिकल के तहत पालना योजना शुरू की है।

महिलाओं की शिक्षा, कौशल और रोजगार पर सरकार की निरंतर पहल के परिणामस्वरूप उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है तथा अधिक से अधिक

महिलाएं अब अपने घरों के भीतर या बाहर काम करके लाभकारी रोजगार पा रही हैं। उचित डे-केयर सेवाओं की कमी अक्सर महिलाओं को बाहर जाकर काम करने से रोकती है। इसलिए, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच कामकाजी महिलाओं के लिए डे-केयर सेवाओं/क्रेच की बेहतर गुणवत्ता एवं पहुंच की तत्काल आवश्यकता है।

कामकाजी माताओं को अपने बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, पालना योजना के माध्यम से डे-केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। क्रेच सेवाएं बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप देती हैं, जिन्हें अब तक घरेलू काम का हिस्सा माना जाता था।देखभाल कार्य को औपचारिक रूप देने से सतत विकास लक्ष्य 8 - सभ्य कार्य और आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए "सभ्य कार्य अभियान" को सहयोग मिलता है। इससे अधिक माताएँ भी सक्षम होंगी, जो अवैतनिक बाल- देखरेख की ज़िम्मेदारियों से मुक्त होंगी तथा लाभकारी रोज़गार अपना सकेंगी।

आंगनवाड़ी केन्द्र विश्व के सबसे बड़े बाल देखरेख संस्थान हैं जो बच्चों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं तथा अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करते हैं।अपनी तरह के पहले प्रयास में मंत्रालय ने आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बाल देखरेख की सेवाओं का विस्तार किया है।इससे पूरे दिन बच्चों की देखभाल सुनिश्चित होगी तथा सुरक्षित वातावरण में उनकी भलाई सुनिश्चित होगी।आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में 'महिला कार्यबल भागीदारी' को बढ़ाना है। पालना योजना का उद्देश्य बच्चों (आयु 6 माह से 6 वर्ष तक) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा, पोषण सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी एवं टीकाकरण प्रदान करना है। पालना के अंतर्गत क्रेच की सुविधा सभी माताओं को प्रदान की जाती है, चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो।

कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकें राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ प्रतिवर्ष की जाती हैं, जहाँ इस बात पर जोर दिया जाता है कि वे अधिक आंगनवाड़ी-सह-क्रेच खोलने और उन्हें चालू करने के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं। एडब्ल्यूसीसी की स्थापना के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त होते हैं, जो योजना के कार्यान्वयन के लिए अपना अपेक्षित योगदान भी देते हैं।

अब तक, पालना योजना के तहत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

15वें वित्त आयोग अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, पालना योजना के तहत कुल 17,000 आंगनवाड़ी-सह- क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। अब तक, विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मंत्रालय ने कुल 14,599 आंगनवाड़ी-सह- क्रेच की स्थापना की मंजूरी दे दी है।

****